

अज अदालत..... सहायक कलेक्टर (SDO) मुकाम.....
बायल

..... बनाम देवी कौर

किस्म मुकदमा..... RP आवेदन नं. 111, 128 नं. 42 सन् 2018
RCR A/P

तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
5.2.18	<p>प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री <u>रविशंकर शर्मा</u> ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा <u>111, 128 RCR</u> राजस्थान काश्तकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्पन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक <u>12.2.18</u> को पेश हो।</p>	
12.2.18	<p>प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थी/गणों के नोटिस तामिल शुद्धा प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली किया गया। विप्रार्थी/गण काबजुड तामिल अनुपस्थित। प्रार्थी के अधिवक्ता की एडप्लेथि एडल हुनी गई प्रार्थी के अधिवक्ता ने बलाया की प्रार्थी को अपने ब्यालेगरी ब्येले के चारों ओर पन्डे नैषम स्थापित करवाना आवरथड ईडमलि प्रार्थी का नैषमबन्नी आवेदन स्वीकर किया जाडर नैषमबन्नी कोडा किया जावे। मतः प्रार्थी का नैषमबन्नी आवेदन स्वीकर किया जाडर तामील काबजुड को इमिशनर नियुक्त किया जाला ई व कोडा दिया जाला ई कि आप स्वयं या अपने अधिवक्ता किसी भी सुअमिलेथ निरिमत के प्रार्थी के ब्यालेगरी ब्येले की पन्डी नैषमबन्नी मीडे पर शुल्ड जमाडराडर इडे पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली ही पत्रावली फेमल शुमार ही दर्ज नम्बर से डम ही दाखिल इमल ही।</p>	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बायतु

क्रमांक/वाद/2018/ 74
प्रार्थीगण

बनाम

विप्रार्थीगण

दिनांक:- 12.2.18

1. हनुमानाराम पुत्र नरसिंगाराम
जाति जाट निवासी भगोणियों
की ढाणी, माडपुरा बरवाला
तह. बायतु जिला बाड़मेर

1. देवी पत्नी रतनाराम वगैरा 4
निवासी भगोणियों की ढाणी,
माडपुरा बरवाला तह. बायतु
जिला बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या 42/18

आदेश

मौजा भगोणियों की ढाणी पटवार हल्का माडपुरा बरवाला के खेत खसरा नम्बर 645/192, 647/192, 652/194, 654/194 रकबा क्रमशः 73.16, 02.15, 13.19, 35.15 बीघा की भूमि में चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार बायतु को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि वे स्वयं या अपने अधिनस्थ भूअ.निरीक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेत का सीमाज्ञान कर, पक्की नेखमबंदी मौके पर शुल्क जमा कराकर करें तथा अपेक्षित होने पर थानाधिकारी, पुलिस थाना, बायतु से पुलिस अधिनियम को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।



क्रमांक/वाद/2018/ 75-79
प्रतिलिपि को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

कलक्टर (SDC)
बायतु
उपखण्ड अधिकारी बायतु
दिनांक:- 12.02.18

1. तहसीलदार बायतु।
2. पटवारी हल्का माडपुरा बरवाला को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रिकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थीगण श्री हनुमानाराम पुत्र नरसिंगाराम।
4. विप्रार्थीगण देवी पत्नी रतनाराम वगैरा 4।
5. थानाधिकारी पुलिस थाना, बायतु।

उपखण्ड अधिकारी बायतु
बायतु